

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10

TEN
RUPEES



INDIA

RS.10

03 JAN 2012

INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

2 मंश,

14AA 458395

2-1-2012



मैं उपलब्ध अति साक्षी, यह दस्तावेज को-इंगेजि कर रहा हूँ कि

इस दस्तावेज की अंतर्गत में सर्वोत्तम रूप में किस्मत के अनुसार

कर रहा हूँ। लही है को-उत्तम कोड़ी गलत किस्मत गरीबी को-

को-लुप्त किस्मत दिये हैं को-गरीबी

दिनांक 11/1/2012

को-गरीबी

Witness & Signed

before me

G. S. Mehta

Ganesh Singh Mehta

Notary 11/1/12

Uttarakhand (U.A.)

2-1-2012
श्री अति साक्षी को-

47- कोटवा (उ.)

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं हरीशम हाफज पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री कबीर राय आयु 70 वर्ष, जो कोटवा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हूँ/करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करती है।)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं NA
(ii) पुलिस थाना (थाने) NA जिला (जिले) NA राज्य NA
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है NA
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई NA
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे NA
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं NA

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं NA
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है NA
(iii) पुलिस थाना (थाने) NA जिला (जिले) NA राज्य NA
(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है NA
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे NA
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है NA

स्थान- कोटवा
तारीख- 11/1/2012



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मै, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

.....सागरपुर.....स्थान पर आज तारीख 11-1-2012.....को सत्यापित किया।



सागरपुर
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तम्भ जो अभिसाक्षी की लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।